

प्रेषक,

सुरेन्द्र सिंह रावत,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

- | | |
|--|--------------------------------------|
| 1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तराखण्ड शासन। | 2. समस्त मण्डलायुक्त,
उत्तराखण्ड। |
| 3. समस्त विभागाध्यक्ष,
उत्तराखण्ड। | 4. समस्त जिलाधिकारी,
उत्तराखण्ड। |

सामान्य प्रशासन विभाग

देहरादून: दिनांक: 24 अगस्त, 2012

विषय:- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में।

महोदय,

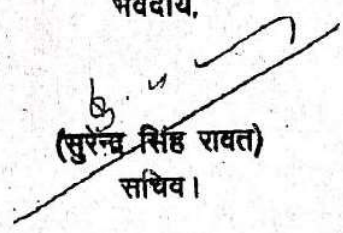
कृपया सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के क्रियान्वयन को एक लम्बा समय हो गया है, परन्तु अभी भी ऐसे मामले प्रकाश में आ रहे हैं जहाँ लोक सूचना अधिकारी तथा प्रथम अपीलीय अधिकारी को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत आवेदित सूचना को दिये जाने के सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट न होने के कारण उन्हें अनावश्यक रूप से द्वितीय अपील में सूचना समय से न देने अथवा भ्रमपूर्ण सूचना उपलब्ध कराने आदि कारणों से असमंजस की स्थिति देखनी पड़ती है और उन पर शास्ति भी आरोपित होती है।

2. यह अनुभव किया गया है कि लोक सूचना अधिकारी तथा प्रथम अपीलीय अधिकारी के द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 में सूचना आवेदक को उपलब्ध कराने में जो अनुभव रहा है तथा जो उनकी शंकायें रही हैं उसके आधार पर उनकी कठिनाईयों की जानकारी की जाय और प्रशिक्षण शिविर आयोजित करके उनके द्वारा बतायी गयी कठिनाईयों/शंकाओं का निराकरण करके उन्हें लोक सूचना अधिकारी तथा प्रथम अपीलीय अधिकारी के रूप में अपने दायित्वों का निर्वहन सुचारु रूप से करने के लिए दक्ष बनाया जाय।

3. उपरोक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आप अपने अधीनस्थ समस्त लोक सूचना अधिकारियों तथा प्रथम अपीलीय अधिकारियों को निर्देशित कर दें कि वे सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के विभिन्न प्रावधानों के सम्बन्ध में अपने अनुभव के आधार पर जो बिन्दु स्पष्ट कराना चाहते हैं, वे बिन्दु क्या हैं, उन्हें अंकित करके सामान्य प्रशासन विभाग को उपलब्ध करा दें, ताकि इस प्रकार सुसंगत बिन्दुओं पर एक प्रशिक्षण शैड्यूल तैयार करके उनको आवश्यक प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जा सके।

अतः कृपया उपरोक्तानुसार अपने अधीनस्थ लोक सूचना अधिकारियों एवं प्रथम अपीलीय अधिकारियों को शीघ्रता से अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,


(सुरेन्द्र सिंह रावत)
सचिव।